

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

समाहर्ता का कार्यालय, दीव

संख्या- दीव-समाहर्ता सीजी/3/2019-समाहर्ता-दीव/794,

दिनांक 16/08/2019

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि दीव के बुचरवाड़ा स्थित केवडी गाँव में सर्वे संख्या 112/5 के 1106 वर्ग मीटर की श्रेणी-II प्रकार की जमीन की अनधिकृत रूप से बिक्री एवं दाखिल-खारिज की जा रही है । यह लेन-देन समाहर्ता, दीव की अनुमति के बिना अवैध रूप से की जा रही है एवं यह सनद की शर्तें, गैर-कृषि योग्य भूमि अनुमति एवं बिक्री अनुमति के सरासर उल्लंघन है । इस संबन्ध में एक मामला समाहर्ता के कोर्ट, दीव में चल रहा है ।

इस सार्वजनिक सूचना के जरिए आम जनता को सूचित किया जाता है कि वे दीव के केवडी गाँव में स्थित सर्वे संख्या 112/5 के 1106 वर्ग मीटर जमीन में स्थित मकान या भूमि में किसी भी प्रकार की लेन-देन न करें । यदि कोई इस प्रकार लेन-देन करता है, तो वह अपनी जोखिम और जिम्मेदारी से करेगा ।

हस्ता./-

(हेमन्त कुमार)भाप्रसे

समाहर्ता, दीव

सेवा में,

1. क्षेत्र प्रचार अधिकारी, दीव को इस अनुरोध के साथ कि इसे दो स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे ।
2. सहायक निदेशक (राजभाषा) को इस अनुरोध के साथ कि इसका हिन्दी एवं गुजराती में अनुवाद करवाकर सरकारी वेबसाईट में अपलोड करायेंगे ।